न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1695

1. झाबरमल पुत्र शैतान, जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना हाल जिला सीकर राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार तहसील नीमकाथाना हाल जिला सीकर राज0।
2. फूलचन्द पुत्र सुवालाल जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 25.09.2024 अपील संख्या 71/2024 उनवानी फूलचन्द बनाम तहसीलदार नीमकाथाना व अन्य जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में पारित किया गया है।

उपस्थित :—

1. श्री मनोज कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री सुमेर सिंह बडसरा, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 25.05.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 25.09.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 13.10.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द ने एक अपील नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 ग्राम हरजनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना के विरूद्व पेश की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुर्नविलोकित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को अपास्त करने के आदेश पारित किये गये हैं।
3. जिला कलक्टर नीमकाथाना के उक्त निर्णय दिनांक 25.09.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट झाबरमल पुत्र शैतान द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर नीमकाथाना का निर्णय दिनांक 25.09.2024 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि माननीय विचाराधीन न्यायालय का निर्णय एंव डिक्री विधि विरूद्ध एंव तथ्यों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय विचारणीय न्यायालय के समक्ष यह प्रथम द्रष्टया विचारणीय तथ्य एव विधि का मिश्रित विवाद्यक था कि उक्त विवादित भूमि का उक्त फर्जी पंजीकृत विक्रय पत्र अजनबी व्यक्ति बंशी पुत्र श्योजी जाति गुर्जर के नाम का ग्राम मे कोई व्यक्ति ही नही होने पर रेस्पोडेन्ट नं. 2 के द्वारा किसी दीगर व्यक्ति बंशी पुत्र छोटू निवासी दरीबा नाम के फर्जी व्यक्ति को खडा कर फर्जी पंजीकृत

विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है। इस पर भी माननीय विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना सरसरी तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्च एंव उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वमान्य विधिक सिद्वान्त पारित किया है कि किसी व्यक्ति के नाम से कोई दुसरा फर्जी व्यक्ति कोई भी विधिक दस्तावेज पंजीकृत नही करा सकता इसके बाद भी माननीय विचारणीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रकरण मे विवादित आराजी भूमि के संबध में कथित फर्जी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण को रेस्पोडेन्ट नं. 1 द्वारा वास्तविक जाँच पर फर्जी व्यक्ति द्वारा तस्दीक होने से नामान्तकरण संख्या 701 द्वारा निरस्त किया गया है। रेस्पो.नं. 2 एंव फर्जी व्यक्ति बंशी पुत्र छोटू के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। जो अनुसंधान में लंबित है। इस प्रकार कथित पंजिकृत विक्रय पत्र फर्जी व्यक्ति द्वारा आपराधिक नियत से नुमायशी एवं फर्जी तस्दीक करवाया गया है। उक्त कथित पंजिकृत विक्रय पत्र को प्रभावहीन एंव शुन्य घोषित करवाने के लिए माननीय सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार है। इसके सम्बंध मे अपीलार्थी ने माननीय अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक अपील पेश कर रखी है। इसके बाद भी विचारण न्यायालय ने विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। माननीय विचारणीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय राज, उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्तों पर मनन किये बिना ही सरसरी तौर पर आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी ने माननीय उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष वाद वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का बउनवानी शैतान व अन्य बनाम फूलचन्द व अन्य पेश कर रखा है जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या दो को बखूबी होने के बावजूद भी उसके द्वारा मिन अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना माननीय न्यायालय को उसकी जानकारी दिये बिना अपील पेश कर उक्त आदेश न्यायालय को गुमराह कर व मुगालते मे रख कर करवा लिया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है। माननीय अधरनस्थ अपीलीय न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर द्वारा पारित उक्त प्रकरण मे निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.09.2024 के विरूद्ध अपील हैं जो माननीय अदालत हाजा के श्रवणाधिकार मे है।

उक्त अपील उनवानी अपील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारों पर पेश कर दी है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी आशा है। अधीनस्थ न्यायायल ने बिना अपीलान्ट को पक्षकार बनाये ही एवं सूचना व सुनवाई का दिये एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि उक्त भूमि पर अपीलान्ट का अपने पूर्वज दादा परदादा से उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद अपीलान्ट द्वारा अनुवानी शैतान व अन्य बनाम मूलचन्द व अन्य घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के अधिकार हक प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की अनुमति दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को अपील पेश करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त अपील उनवानी अपील अपीलान्ट ने माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ आधारों पर पेश कर दी है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी आशा है। उक्त अपील पेश करने में जो विलम्व हुआ है वह जानबूझकर कर नहीं बल्कि पर्याप्त कारणवश हुआ है। अपील माननीय विचारणीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.09.2024 के विरूद्ध पेश की गई है जिसे मियाद मे लेकर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। चूंकि जब रेस्पोन्डेन्ट संख्या दो ने दिनांक 6.10.2025 को माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरकरण खोलने का निवेदन किया जिसकी जानकारी अपीलार्थी को होने पर तहसील कार्यालय मे उक्त पत्रावली की जानकारी प्राप्त की तब अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी हुई जिस पर प्रार्थी अपीलार्थी ने बिना विलम्ब किये आदेश की नकल का आवेदन दिनांक 9.10.2025 को पेश किया जिस पर नकल दिनांक 9.10.2025 को शाम को प्राप्त होने पर अधिवक्ता से राय लेकर अपील बिना विलम्ब किये श्रीमान के समक्ष पेश कर दी। जिसे

अति. संभागीय आयुक्त जयपुर

पेश करने मे जानबूझ कर कोई विलम्ब नही हुआ उक्त कारण वश हुआ विलम्ब कण्डोन किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दरमियाद मान कर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को पेश करने में हुई देरी को जो उपरोक्त कारण से हुई है को कण्डोन किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानकर सुनवाई हेतु रिकार्ड पर लेने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय विचारणीय न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना हाल जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 25.09.2024 को निरस्त फरमावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के समक्ष हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द ने एक अपील नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 ग्राम हरजनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना के विरूद्व पेश की गयी थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुर्नविलोकित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को अपास्त करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट द्वारा अनुवानी शैतान व अन्य बनाम मूलचन्द व अन्य वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश कर रखा है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट के अधिकार हक प्रभावित हो रहे हैं। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 06.10.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर नीमकाथाना की पत्रावली व निर्णयों तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारों में मुख्यतः विवाद ग्राम हरजनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर में स्थित पुराना ख.नं. 361 रकबा 1.04 हैक्टयर है जिसके नये ख.नं. 514 रकवा 1.04 हैक्टर स्थित है जो कि बंशी पुत्र श्योजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, को लेकर है। उक्त विवादित भूमि को बंशी पुत्र छोटूराम ने वंशी पुत्र श्योजी बनकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द पुत्र सुवालाल को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र रजि. नं. 202403274102321 दिनांक 27.05.2024 द्वारा विक्रय कर दी गयी थी। उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र रजि. नं. 202403274102321 दिनांक 27.05.2024 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 जो वर्तमान में रजिस्ट्रेशन में Auto

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

mutation प्रक्रिया के तहत स्वतः दर्ज होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द पुत्र सुवालाल के नाम स्वीकृत हो गया।

हाल अपीलान्ट झाबरमल पुत्र शैतान जाति गुर्जर निवासी हरजनपुरा तहसील व जिला नीमकाथाना द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रार्थना पत्र दिनांक 29.04.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि दिनांक 27.05.2024 को बंशी पुत्र छोटू व फूलचन्द पुत्र सुवालाल ने मिलीभगत करके फर्जी नुमायशी विक्रय पत्र बंशी पुत्र श्योजी नाम का फर्जी व्यक्ति बनाकर उप पंजीयन कार्यालय नीमकाथाना में बिना पहचान पत्र फर्जी विक्रय पत्र के साथ संलग्न किये फर्जी गवाहान मुकेश पुत्र बंशीधर, रामनिवास पुत्र बंशीधर निवासी दरीबा बनकर अवैध व फर्जी विक्रय पत्र तस्दीक करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवा लिया तथा उक्त फर्जी विक्रय पत्र का नामान्तरकरण भी दिनांक 27.05.2024 को ही करवा लिया। दिनांक 27.05.2024 को अवैध, फर्जी विक्रय पत्र की बिना जॉच किये विवादित भूमि पर विक्रेता कब्जा बिना ही अवैध विधि विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 रजि नं. 202403274102321 तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया गया है। नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 कब्जे के अभाव में तथा फर्जी तरीके से गलत नाम का व्यक्ति द्वारा फर्जी पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दिनांक 27.05.2024 अवैध फर्जी विक्रय पत्र का नामान्तरकरण संख्या 701 को खारिज करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा यह अंकित किया गया कि "प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। रजिस्ट्री में प्रस्तुत दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया। चूंकि वर्तमान में रजिस्ट्रेशन Auto mutation प्रक्रिया से होते हैं। अतः यह नामान्तकरण भी Auto mutation प्रक्रिया के तहत स्वतः दर्ज हो गया जबकि रजिस्ट्री की प्रतिलिपि पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुये तथा प्रार्थना पत्र के पश्चात नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। परन्तु तब तक स्वतः दर्ज नामान्तरकरण को खारिज किया जाना उचित है ताकि प्रार्थी के अधिकारों का हनन नहीं हो। अतः नामांतकरण नियमानुसार पुनः दर्ज किया जा सकता है यदि रजिस्ट्रेशन सही है तो।" अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 पुर्नविलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये थे।

तहसीलदार नीम का थाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना खारिज किये जाने के निर्णय दिनांक 30.05.2024 से व्यथित होकर हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण को स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को अपास्त करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

हमारा विनम्र मत है कि तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र रजि. नं. 202403274102321 दिनांक 27.05.2024 में बंशी की वल्दीयत में परिवर्तन होने से प्रकरण संदेहास्पद प्रतीत होने पर तथा उसके आधार पर नामान्तरकरण Auto mutation प्रक्रिया के तहत स्वतः दर्ज होने पर नामान्तरकरण हेतु कूटरचना किये जाने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता था। तहसीलदार चूंकि भूमि का भूमिधारक होता है। इसलिये तहसीलदार का यह दायित्व भी है कि यदि नामान्तरकरण में कोई संदेह अथवा कूटरचना जाहिर होती है तो जॉच कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें। ऐसे में यह तथ्य स्पष्ट था कि तहसीलदार नीमकाथाना ने पंजीबद्ध विक्रय पत्र रजि. नं. 202403274102321 दिनांक 27.05.2024 में बंशी की गलत वल्दीयत होने के तथ्य प्रकाश में आने पर ही नामान्तरकरण संख्या 701 दिनांक 27.05.2024 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीमकाथाना खारिज किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.05.2024 पारित किये गये थे। अधीनस्थ

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने हाल अपीलान्ट झाबरमल जिसने उप पंजीयक कार्यालय नीमकाथाना द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र रजि नं. 202403274102321 के सम्बन्ध में शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। जिसे भी अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीम का थाना की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर होता है कि आदेशिका दिनांक 05.09.2024 में पत्रावली तहसीलदार नीम का थाना से भूमि खसरा नम्बर 514 ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना की मौके की एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाये जाने बाबत पत्रावली दिनांक 19.09.2024 से दिनांक 25.09.2024 हेतु नियत की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना द्वारा तहसीलदार नीम का थाना की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2024 द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 2 फूलचन्द की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को अपास्त किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.2024 पारित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में बंशी की वल्दीयत की जॉच करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलान्ट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें भी सुना जाना आवश्यक है तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि — अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नीमकाथाना के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.09.2024 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2024 नामान्तरकरण संख्या 701 पुनर्विलोपित ग्राम हरजनपुरा तहसील नीम का थाना को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में बंशी की वल्दीयत की जॉच करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलान्ट उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है। जिन्हें भी सुना जाना आवश्यक है तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में गहन एवं विस्तृत जॉच की जाकर निष्कर्षात्मक एवं विवेचनात्मक निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर